

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक पा० 4(50) कृषि / ग्रुप-2 / 97

जयपुर दिनांक - 7 FEB 2016

आदेश

राजस्थान कृषि उपज विधी नियम 1963 के नियम 63-ए, 63-बी, 63-सी एवं 63 (2) में निहित प्रावधानान्तर्गत एक से अधिक मण्डी क्षेत्र के लिए विशिष्ट अनुज्ञापत्र जारी करने के संबंध में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 03.06.2010 एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 04.05.2016 से निर्धारित मापदण्डों को अतिकंमित करते हुए निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित किये जाते हैं:-

DD(R)

अप्प

27.02.2018

1. आवेदन शुल्क
2. अनुज्ञापत्र शुल्क
3. अमानता राशि
4. कृषि जिन्सों की न्यूनतम मात्रा

- 1000/- रुपये
5000/- रुपये प्रतिवर्ष
10,00,000/- की बैंक गारंटी
2000 मैट्रिक टन

M.O(R)

मा०
27/2/18

आज्ञा से,

६०

(आर.पी.विजय)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय कृषि विपणन मंत्री शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. प्रशासक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
4. निदेशक, कृषि विपणन विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव